राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9840/2009

कस्तूर चंद पुत्र देवीलाल उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम मठनी, तहसील एवं जिला बारां।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार बारां, जिला बारां के माध्यम से।
3. भवानी शंकर पुत्र देव करण,
4. धन्नी बाई श्री देव करण की विधवा,
5. कमला पुत्री देवीलाल,
6. राम कन्या पुत्री देवीलाल,
7. बद्री बाई पुत्री देव करण,
8. राजंती पुत्री देव करण,
9. द्रोपदी पुत्री देव करण,
10. मंजू पुत्री देव करण

प्रत्यर्थी संख्या 3 से 10 मठनी, तहसील और जिला बारां के निवासी हैं।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	डॉ. महेश शर्मा की ओर से सुश्री हर्षिता शर्मा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अक्षय शर्मा, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौर

<u>आदेश</u>

रिपोर्टेबल

01/09/2022

यह रिट याचिका याचिकाकर्ता-कस्तूर चंद पुत्र देवीलाल द्वारा दायर की गई है, जिसमें अपर कलेक्टर (राजस्व), बारां द्वारा सीलिंग केस संख्या 259/82 में पारित दिनांक 08.11.1983 के आदेश और राजस्व बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील सीलिंग संख्या 7213/2001/कोटा में पारित दिनांक 18.06.2009 के निर्णय को चुनौती दी गई है।

रिट याचिका में प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता के पिता के पास राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम माथनी, तहसील बारां में 41.95 मानक एकड़ कृषि भूमि थी और संबंधित समय में याचिकाकर्ता के स्वर्गीय पिता देवीलाल के परिवार में आठ सदस्य शामिल थे: (1) देवीलाल पुत्र उदा; (2) पार्वती पत्नी देवीलाल; (3) देवकरण पुत्र देवीलाल; (4) कस्तूर चंद पुत्र देवीलाल; (5) कमला पुत्री देवीलाल; (6) रामकन्या पुत्री देवीलाल; (7) धन्नी बाई पत्नी देवकरण और (8) बद्री बाई पत्नी देवकरण।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 1971 में, उनके पिता देवीलाल के विरुद्ध राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 (इसके बाद '1955 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधान के तहत सीलिंग सीमा से अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी और जांच की गई थी। जांच पर यह पाया गया कि देवीलाल के परिवार के पास 41.95 मानक एकड़ भूमि थी और देवीलाल के परिवार में आठ सदस्य शामिल थे, जैसा कि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया था।

उप-मंडल अधिकारी ने अधिनियम 1955 की धारा 30ग के उपबंधों पर विचार करने के बाद दिनांक 21.12.1971 के आदेश के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी और अधिकतम सीमा से अधिक कोई भूमि नहीं पाई गई।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उन्होंने और उनके भाई देव करण ने 1955 के अधिनियम की धारा 53 के तहत अपने पिता के विरुद्ध संपत्ति के बंटवारे के लिए एक मुकदमा दायर किया था और उक्त मुकदमे का निर्णय पक्षों के बीच हुए समझौते और बंटवारे के आधार पर किया गया था तथा दिनांक 17.09.1971 के निर्णय के तहत परिवार के सदस्यों के बीच धृति को वितरित किया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि धृति के विभाजन के बाद, उसने अपने हिस्से का

कब्जा ले लिया और अब कृषि भूमि उसके लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां ने राज्य सरकार के दिनांक 09.08.1979 और 21.08.1979 के पत्रों के आधार पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को छोड़ने के आठ वर्ष बाद सीलिंग केस संख्या 259/82 राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (इसके बाद '1973 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 15 (2) के तहत सीलिंग मामले को फिर से खोला और याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय देवीलाल को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को मामले को दोबारा खोलने का मौका देने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा उत्तर दायर किए जाने के बाद, अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां ने उत्तर की उचित समझ किए बिना और 1973 के अधिनियम और 1973 के नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना, 01.04.1966 को यह माना कि देवीलाल के पास 41.10 मानक एकड़ जमीन थी और उस दिन उनके परिवार के सदस्यों की संख्या छह थी और इस तरह, वह 35 मानक एकड़ जमीन के मालिक कहे जा सकते थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पिता के पास 6.10 मानक एकड़ भूमि अधिकतम सीमा से अधिक राशि पाई गई।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि चूंकि याचिकाकर्ता को कार्यवाही दोबारा शुरू करने का नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए उसे इन कार्यवाही के बारे में पता नहीं चला और वह भूमि का उपयोग करता रहा और इस बीच, याचिकाकर्ता के पिता देवीलाल की मृत्यु हो गई और उसके भाई देव करण का भी देहांत हो गया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि वर्ष 2001 में, जब हल्का-पटवारी याचिकाकर्ता के कृषि क्षेत्र में आया और 08.11.1983 के आदेश के बारे में बताया, तो उसे इस तरह के आदेश के बारे में पता चला और उसने 1973 के अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत अपील दायर करके दिनांक 08.11.1983 के आदेश को चुनौती देने के लिए तुरंत राजस्व बोर्ड से संपर्क किया और इसे अपील सीलिंग संख्या 7213/2001/कोटा के रूप में पंजीकृत किया गया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि राजस्व बोर्ड ने मामले के तथ्यों पर ठीक से विचार किए बिना और दिनांक 08.11.1983 के निर्णय को चुनौती देने में देरी के लिए विस्तृत

स्पष्टीकरण दिए बिना, देरी के आधार पर और गुणागुण के आधार पर दिनांक 18.06.2009 के आदेश के तहत अपील अपास्त कर दी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 08.11.1983 और 18.06.2009 के दो आदेशों से व्यथित महसूस करते हुए, उसने रिट याचिका के ज्ञापन में निम्नलिखित आधार उठाकर वर्तमान रिट याचिका दायर की है:-

1. राजस्व बोर्ड अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) द्वारा कार्यवाही को फिर से खोलने के दौरान यह समझ पाने में विफल रहा है कि यह कालातीत थी और 1973 के अधिनियम की धारा 23 क में समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश की समीक्षा की जा सकती थी और कार्यवाही के बाद से वर्ष 1971 में छोड़ दिया गया था और दिनांक 09.08.1979 और 21.08.1979 के पत्रों के आधार पर आठ वर्ष की समाप्ति के बाद सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलना, अत्यधिक समय बाधित था और इस तरह, 1973 के अधिनियम धारा 23क के मद्देनजर समीक्षा/पुनः खोलने की अनुमति नहीं थी।

2. धृति का विभाजन देवीलाल और उनके दोनों बेटों के बीच किया गया था और संबंधित भूमि को दिनांक 17.09.1971 के निर्णय द्वारा तीन अलग-अलग इकाइयों में विभाजित किया गया था, और राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार संबंधित शेयरधारकों के नाम शामिल थे और इस प्रकार, सीलिंग मामले को फिर से खोलने के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था तथा दिनांक 08.11.1983 का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया।

3. राजस्व बोर्ड का आदेश, अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि बोर्ड ने प्रासंगिक समय अर्थात 01.04.1966 को स्वर्गीय श्री देवीलाल के परिवार के आठ सदस्यों के वास्तविक प्रमाण पर ध्यान नहीं दिया, और इस प्रकार, राजस्व मंडल ने बिना किसी आधार के स्वर्गीय श्री देवीलाल के परिवार के आठ सदस्यों की बजाय छह सदस्यों को रिकार्ड में दर्ज कर दिया है।

4. राजस्व मंडल ने याचिकाकर्ता को 15.10.2001 को हल्का पटवारी के माध्यम से दिनांक 08.11.1983 के आदेश की जानकारी के तथ्य पर विचार नहीं किया और इस प्रकार, राजस्व मंडल से संपर्क करने में कोई देरी नहीं हुई और राजस्व मंडल देर से दायर

करने के आधार पर अपील को अपास्त नहीं कर सका।

5. अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) के दिनांक 08.11.1983 के आदेश को यदि याचिकाकर्ता के पिता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष चुनौती दी थी और उसे राजस्व बोर्ड द्वारा अपास्त कर दिया गया था, तो जहां तक ज़मीन में उसके हिस्से का प्रश्न है, इससे याचिकाकर्ता के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

याचिकाकर्ता के लिए डॉ. महेश शर्मा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता-सुश्री हर्षिता शर्मा ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:-

1. याचिकाकर्ता के पिता के पास 01.04.1966 को 41.10 मानक एकड़ भूमि थी और संबंधित समय में देवीलाल के परिवार के आठ सदस्य थे और इस तरह, छह सदस्यों पर विचार करके, दोनों प्राधिकरणों ने आदेश पारित करने में अवैधता की है।

2. वर्ष 1971 की कार्यवाही में अधिनियम 1955 के अनुसार तथा परिवार में आठ सदस्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनांक 21.12.1971 द्वारा भूमि निर्धारित सीमा में पाई गई, अतः उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार याचिकाकर्ता के पिता के पास कोई अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं थी।

3. कि 1955 के अधिनियम की धारा 53 के तहत वह मुकदमा एक संपत्ति की घोषणा देव करण पुत्र देवीलाल द्वारा दिनांक 17.09.1971 के आदेश के तहत दायर की गई थी, जिसे समझौतावादी और मुकदमे के पक्षकार के रूप में घोषित किया गया था, अर्थात देवीलाल और उनके दो बेटों देव करण और कस्तूर चंद के पास प्रत्येक का एक-तिहाई हिस्सा था और चूंकि तहसीलदार उक्त मुकदमे में पक्षकार था, इसलिए, वह कार्यवाही से भली-भांति अवगत था।

4. कि निचली अदालत इस बात पर विचार करने में विफल रहीं कि प्रत्येक भूमि धारक को आवंटित की गई भूमि वर्ष 1971 में ही अलग-अलग राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज की गई थी और इस तरह, 12 वर्ष से अधिक की देरी के बाद, राजस्व रिकॉर्ड को बदला नहीं जा सकता था।

5. मामले को फिर से खोलने का नोटिस केवल याचिकाकर्तागण के पिता को दिया गया था और 1973 के अधिनियम की धारा 15 की आवश्यकता के अनुसार, फिर से खोलने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों,

अर्थात याचिकाकर्ता और उसके अन्य भाई और बहनों को भी दिया जाना आवश्यक था।

6. सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए आठ वर्ष का समय बीतना 1973 के अधिनियम की धारा 15 (2) और यहां तक कि 1979 के संशोधन अधिनियम के तहत प्रदान की गई अनिवार्य समय-सीमा के विरुद्ध था, जो छह वर्ष की समय-सीमा प्रदान करता है और इस तरह, सभी कार्यवाही कानून की नजर में शून्य हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा **08.12.2020 को** निर्णित **दौलत सिंह (डी) एलआर के माध्यम से बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में सिविल अपील संख्या 5650/2010; शांति लाल बनाम राजस्थान राज्य, 2001 एससीसी ऑनलाइन राजस्थान 689; नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2014 (4) डब्ल्यूएलसी 56 और राम नारायण बनाम राम नारायण राजस्थान राज्य, 2016 (2) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) (यूसी) 425** के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया है।

उक्त निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश, गंभीर विधिक कमजोरियों से ग्रस्त हैं और इस प्रकार, इन आदेशों को इस न्यायालय द्वारा रद्द करने की आवश्यकता है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री अक्षय शर्मा ने रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं का विरोध किया है और उन्होंने इस रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां भी उठाई हैं और साथ ही यह कहा है कि याचिकाकर्ता का आचरण निंदनीय होने के कारण रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाए क्योंकि उसने वर्तमान रिट याचिका दायर करते समय इस न्यायालय की जानकारी से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं और इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मुकदमेबाजी के पहले दौर के पूरे तथ्यों का खुलासा न करके राजस्व बोर्ड के अधिकारियों को भी गुमराह किया है, जिसे याचिकाकर्ता के पिता द्वारा शुरू किया गया था और बाद में विधिक प्रतिनिधि होने के नाते, याचिककर्ता द्वारा इसे विधिवत रिकॉर्ड पर लाया गया और इस न्यायालय द्वारा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2909/1988 में एक आदेश पारित किया गया, जिसका शीर्षक देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है जिस पर 24.07.2001 को निर्णय लिया गया।

मामले के गुणागुण के आधार पर विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि दोनों निचली अदालतों ने ऐसा किया है मामले के विधिक पहलुओं पर विचार किया गया और उसके अनुसार 1973 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत एसडीओ द्वारा पारित आदेश को सही ढंग से अपास्त कर दिया गया है।

विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पिता एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें 1973 के अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी, और उन्हें नोटिस दिया गया था और उन्होंने विधिवत उत्तर दायर किया था और इस तरह, यह नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमा और समझौते के आधार पर, यदि कोई डिक्री पारित की गई थी, तो उसे एक वास्तविक लेनदेन नहीं कहा जा सकता है और यह 1973 के अधिनियम की धारा 6 के विपरीत भी है। 26.09.1970 के बाद किसी भी माध्यम से भूमि के हस्तांतरण को मान्यता नहीं दी जाएगी या व्यक्ति पर लागू सीमा क्षेत्र के निर्धारण में विचार नहीं किया जाएगा।

विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान रिट याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है उस पर इस न्यायालय द्वारा एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2909/1988 में पहले ही विचार किया जा चुका है और याचिकाकर्ता वहां एक पक्ष होने के नाते, उक्त निर्णय से बंधा हुआ है और मामले के वर्तमान तथ्यों में पुनर्न्याय का सिद्धांत लागू होगा और याचिकाकर्ता को उन्हीं मुद्दों पर फिर से आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश पारित करते हुए तय किया गया है।

विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने आगे कहा कि रचनात्मक निर्णय का सिद्धांत, रिट कार्यवाही पर समान रूप से लागू होता है और यदि याचिकाकर्ता के पिता ने कार्यवाही को फिर से खोलने और आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) बारां द्वारा पारित पहले के आदेश पर प्रश्न उठाया है, इस तरह के आदेश के विरुद्ध दायर अपील, और राजस्व बोर्ड द्वारा निरस्त कर दी गई और अपास्त कर दी गई रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा, मामले की योग्यता के आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष किसी भी मुद्दे को फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा

सकती है।

विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2909/1988 में विधिक प्रतिनिधि लाने के लिए सीपीसी नियम 4 आदेश 22 के तहत दायर आवेदन की प्रति, न्यायालय के दिनांक 18.04.2001 की ऑर्डर शीट रिकॉर्ड पर रखी है, जहां प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी और स्वर्गीय श्री देवीलाल के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया गया था, जहां एकलपीठ रिट याचिका क्रमांक 2909/1988 का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2001 द्वारा याचिकाकर्ता देव करण, कस्तूर चंद, कमला देवी और रामकन्या को प्रतिस्थापित किया गया।

विद्वान अपर अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने **देवीलाल मोदी बनाम बिक्री कर अधिकारी, रतलाम एवं अन्य, एआईआर 1965 एससी 1150 और भास्कर लक्ष्मण जाधव एवं अन्य बनाम करमवीर काकासाहेब वाघ एजुकेशन सोसाइटी एवं अन्य (2013) 11 एससीसी 531** के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया है।

उक्त निर्णयों के आधार पर विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भौतिक तथ्यों को दबाने के सिद्धांत पर, याचिकाकर्ता का आचरण, साथ ही साथ पुनर्विचार का सिद्धांत याचिकाकर्ता को किसी भी राहत का पात्र नहीं बनाता है और इस तरह, रिट याचिका को भी अपास्त करने की प्रार्थना की जाती है।

मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

यह न्यायालय उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद, पाता है कि निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं:-

1. उपडिवीजनल अधिकारी, बारां ने अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत सीलिंग सीमा से अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की, और उन्होंने कार्यवाही को बंद कर दिया और याचिकाकर्ता के पिता देवीलाल के पास सीलिंग सीमा से अधिक कोई भूमि नहीं पाई गई।

2. अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) बारां ने दिनांक 08.11.1983 के आदेश और निर्णय के माध्यम से 1973 के अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत सीलिंग कार्यवाही को

फिर से शुरू किया और 6.10 एकड़ भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक पाया गया।

3. दिनांक 08.11.1983 के आदेश को याचिकाकर्ता के पिता देवीलाल द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 388/1983 चुनौती दी गई थी और इसे राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 18.02.1988 के निर्णय द्वारा अपास्त कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता देवीलाल के पिता ने इस न्यायालय के समक्ष एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2909/1988 दायर की, जिसमें राजस्व बोर्ड द्वारा पारित 18.02.1988 के आदेश और अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां द्वारा पारित दिनांक 08.11.1983 के आदेश को चुनौती दी गई।

5. याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 25.08.1989 को हो गई और याचिकाकर्ता के पिता देवीलाल के विधिक प्रतिनिधियों कमला देवी और रामकन्या ने अपने पिता द्वारा रिट याचिका दायर करने की जानकारी पर, उनके अधिवक्ता से पत्र प्राप्त होने के बाद, आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत उन्हें विधिक प्रतिनिधियों के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

6. मूल याचिकाकर्ता के विधिक प्रतिनिधियों के आवेदन को रिकॉर्ड पर लेने के लिए, इस न्यायालय द्वारा 18-04-2001 को निर्णय लिया गया था और ऐसे आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और संशोधित मामले के शीर्षक को रिकॉर्ड पर लिया गया था।

7. एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2909/1988, इस न्यायालय द्वारा 24.07.2001 को तय की गई और अपास्त कर दी गई। उक्त आदेश में इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए सभी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया और मौखिक आदेश द्वारा, मूल याचिकाकर्ता की ओर से अपने विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाए गए तर्कों को न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया और अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित दोनों आदेशों को बरकरार रखा गया।

8. रिट याचिका को अपास्त करने के बाद वर्तमान याचिकाकर्ता ने 19.10.2001 को राजस्व बोर्ड के समक्ष 1973 के अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत अपील दायर की, जिसमें अपर कलेक्टर के दिनांक 08.11.1983 के आदेश को चुनौती दी गई।

9. राजस्व बोर्ड ने दिनांक 18.06.2009 के निर्णय के तहत याचिकाकर्ता की अपील को अपास्त कर दिया और आदेश पारित करते समय, उसने याचिकाकर्ता-देवीलाल

के पिता द्वारा अपील दायर करने के तथ्य के बारे में उल्लेख किया और अपील के ज्ञापन में इस तरह के तथ्य का खुलासा किए बिना, याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील दायर की थी।

10. याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 12.08.2009 को वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी और इस न्यायालय द्वारा 17.08.2009 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें विचाराधीन भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

11. याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका स्वर्गीय देवीलाल के विधिक प्रतिनिधि के रूप में याचिकाकर्ता के पक्षकार होने के तथ्य का खुलासा नहीं करती है, जिन्होंने एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2909/1988 दायर की थी।

12. याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के पिता के विरुद्ध पारित राजस्व बोर्ड के पिछले आदेश के तथ्य का खुलासा नहीं करती है और इसे इस न्यायालय में याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दायर रिट याचिका में चुनौती दी जा रही है।

13. याचिकाकर्ता ने पूरी रिट याचिका में अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां के आदेश की जानकारी का हवाला देते हुए उल्लेख किया है कि वर्ष 2001 में पटवार हलका, जब विचाराधीन भूमि पर आया, तो याचिकाकर्ता को पहली बार उस आदेश के बारे में पता चला जो वर्ष 1983 में अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां द्वारा पारित किया गया था।

इस न्यायालय को पहले वर्तमान रिट याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता द्वारा तथ्यों को दबाने के मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है।

इस न्यायालय ने पाया कि एक बार जब याचिकाकर्ता को उसके पिता की मृत्यु के कारण विधिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था और उसने उसी आशय का एक आवेदन दायर किया था और उसे अनुमति दी गई थी, तो याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिकाकर्ता के रूप में अपने पिता की जगह ली।

इस न्यायालय ने पाया कि यदि याचिकाकर्ता को अपने भाई और उसकी दो बहनों के साथ विधिक प्रतिनिधि बनने की अनुमति दी गई थी, तो याचिकाकर्ता को ऐसी याचिका दायर करने के तथ्य, याचिकाकर्ता को विधिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने और 24.07.2001 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय का खुलासा करना अनिवार्य था।

इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूरी याचिका में, उसने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के ज्ञान से छिपाया है और एक अंतरिम आदेश प्राप्त करने में भी सक्षम था।

इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता, यदि पहले से ही इस न्यायालय के समक्ष अपने अधिकार का विरोध कर रहा था और यदि उसके विरुद्ध निर्णय लिया गया था, तो याचिकाकर्ता के लिए यह अनिवार्य था कि वह पूरी निष्पक्षता से, रिट याचिका में पूर्ण तथ्यों का खुलासा करे।

इस न्यायालय ने पाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में पूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना, याचिकाकर्ता को किसी भी न्यायसंगत राहत की मांग करने का अधिकार नहीं देता है, किसी भी याचिकाकर्ता का आचरण बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है और यदि कोई वादी न्यायालय के ज्ञान से तथ्यों को छिपाता है/दबाता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के किसी भी हस्तक्षेप का पात्र नहीं है और इसके विपरीत, ऐसे बेईमान और असंतुष्ट वादी को इस न्यायालय द्वारा उचित तरीके से निपटाया जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने याचिका का मसौदा तैयार करते समय तथ्यों को गुप्त तरीके से छिपाया और आगे पिछले मुकदमे के बारे में दलीलों में इस न्यायालय को कोई जानकारी नहीं दी गई है।

यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता को अकेले इस मामले में कोई रियायत नहीं दी जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के ज्ञान से महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया है।

इस न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना अपेक्षित है कि क्या याचिकाकर्ता को उन्हीं मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जा सकती है जो इस न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार पर पहले ही तय किए जा चुके हैं और क्या रिट कार्यवाही में *रेस ज्यूडिकाटा* सिद्धांत लागू होगा या नहीं।

इस न्यायालय ने पाया कि पिछला निर्णय दिनांक 24.07.2001 को इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां, एवं राजस्व

मंडल द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए तीन विशिष्ट आपत्तियाँ उठाई गई थीं।

अब याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में जिन मुद्दों को उठाने की मांग की गई है, उन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले ही मौखिक आदेश द्वारा निपटाया जा चुका है और इस प्रकार, निष्कर्ष अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हो गए हैं।

यह न्यायालय पाता है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में पुनर्न्याय का सिद्धांत प्रदान किया गया है और उक्त सिद्धांत के अनुसार, न्यायालय किसी भी मुकदमे या मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेगा जिसमें मामला सीधे या पर्याप्त रूप से पूर्व में मुद्दा हो। उन्हीं पक्षों के बीच या उन पक्षों के बीच मुकदमा, जिनके तहत उनका या उनमें से किसी का दावा तय किया गया है। ऐसे बाद के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय को यह विचार करने की आवश्यकता होगी कि पिछला मुकदमा जिस पर अंततः निर्णय लिया गया है और सुना गया है, उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा।

यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, रिट याचिकाओं में लागू नहीं होती है, हालाँकि, सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदान की गई प्रक्रिया के बोर्ड सिद्धांतों का रिट याचिका में भी पालन किया जाना आवश्यक है।

इस न्यायालय ने पाया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, याचिकाकर्ता अपने पिता के स्थान पर स्वयं एक पक्ष बन गया और अतिरिक्त कलेक्टर और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश की वैधता पर प्रश्न उठाने वाले उन्हीं मुद्दों पर अंततः निर्णय लिया गया, अतः याचिकाकर्ता को उन्हीं मुद्दों को इस न्यायालय के समक्ष दोबारा उठाने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है, और जिन मुद्दों पर अंतिम सुनवाई और निर्णय लिया जा चुका है, उन्हें पुनः खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि यह न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) बारां और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका को स्वीकार करता है और पाता है कि इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, तो कल भी इसी तर्ज पर सभी स्वर्गीय देवीलाल के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बने अन्य लोग फिर से आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि उनके अधिकारों का भी निर्णय होना जरूरी है। अधिकारों के अंतिम निर्णय को विधिक रूप से मान्यता दी जानी है और जब सक्षम न्यायालय आदेश पारित करते हैं, तो पक्ष ऐसे आदेशों और निर्णयों से बंधे होते हैं

और उनके केवल पूछने पर या नवीन संदिग्ध पद्धति से, और फिर ऐसे वादी को निपटाए गए मुद्दे को फिर से उठाने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

इस न्यायालय ने पाया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) बारां द्वारा पारित आदेश की वैधता के संबंध में मुद्दे की पहले ही जांच की जा चुकी है और याचिकाकर्ता को अब वर्ष 2001 में हलका पटवारी की जानकारी से, पहले की सिविल कार्यवाही के बारे में, उन आदेशों पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें पहले ही इस न्यायालय से अनुमोदन मिल चुका है।

यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार करने से झिझक रहा है कि याचिकाकर्ता को अपने पिता द्वारा शुरू किए गए पहले के मुकदमे के बारे में पता नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने खुद अपने भाई और बहनों के साथ अपने पिता के स्थान पर विधिक प्रतिनिधियों के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन दायर किया है और अब याचिकाकर्ता इस स्थिति से बच नहीं सकता है कि उसके विरुद्ध निर्णय पहले ही पारित किया जा चुका है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि सात वर्ष से अधिक समय तक नोटिस जारी करने की सीमा के मुद्दे पर इस न्यायालय ने पिछली रिट याचिका पर निर्णय करते समय विचार नहीं किया है और याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे पर आवाज उठाने का पर्याप्त अधिकार है, यह पर्याप्त है। इस न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व), बारां द्वारा पारित पूर्व आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता को 1973 के अधिनियम की धारा 15(2) के तहत नोटिस दिया गया था और प्राप्ति के बाद याचिकाकर्ता के पिता से नोटिस और स्पष्टीकरण, अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 08.11.1983 द्वारा पारित किया।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलील कि याचिकाकर्ता सहित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया था और इस तरह, कानून की नजर में कार्यवाही दूषित हो गई है, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि भूमि किसके नाम पर थी याचिकाकर्ता के पिता और 01.04.1966 को, यदि याचिकाकर्ता के पिता के पास सीलिंग कार्यवाही से भूमि को बचाने के लाभ का दावा करने के लिए इकाइयों की एक विशेष संख्या थी, तो याचिकाकर्ता के पिता-देवीलाल को आवश्यक नोटिस जारी किया जाना

आवश्यक था और उन्हें उक्त नोटिस दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन था कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.08.1979 को जारी पत्र, जैसा कि अतिरिक्त के आदेश दिनांक 08.11.1983 में दिया गया है कलेक्टर (राजस्व), बारां, 1973 के अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अलग से नोटिस जारी करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा, इस न्यायालय का मानना है कि यदि राज्य सरकार द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एसडीओ द्वारा पारित आदेश से राज्य प्रभावित हुआ है, तत्कालीन अपर समाहर्ता ने स्वर्गीय देवीलाल के वास्तविक पारिवारिक सदस्यों को ध्यान में रखते हुए सही आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता देवीलाल के परिवार में आठ सदस्य थे और तदनुसार, एसडीओ ने सीलिंग की कार्यवाही को रद्द करने का आदेश पारित किया था और परिवार के केवल छह सदस्यों की गिनती करने का कोई आधार नहीं था, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि यदि संबंधित रिकॉर्ड अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा देखा गया है और आगे इस न्यायालय ने पिछली रिट याचिका पर निर्णय लेते समय याचिकाकर्ता के इस तर्क को पिछली याचिका में अपास्त कर दिया है, तो याचिकाकर्ता को मुकदमेबाजी के इस दौर में फिर से इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि राजस्व बोर्ड केवल इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि याचिकाकर्ता के पिता की पिछली अपील अपास्त कर दी गई थी और इस प्रकार, सीमा के साथ-साथ गुणागुण के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था, इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व बोर्ड ने यह सही ढंग से दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता ने असामान्य तरीके से, याचिकाकर्ता के पिता द्वारा वर्ष 1988 में द्वारा दायर की गई अपील को अपास्त की जाने के बावजूद, अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश पर प्रश्न उठाते हुए फिर से अपील दायर की और उन्होंने राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर अपील के ज्ञापन में यह उल्लेख भी नहीं किया कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश उच्च न्यायालय तक पहले ही अंतिम रूप ले चुका था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील थी कि 1955 के अधिनियम की धारा 53 के तहत दायर मुकदमे में पक्षों के अधिकारों को तीन व्यक्तियों अर्थात याचिकाकर्ता के पिता

देवीलाल और उनके दो बेटों अर्थात कस्तूर चंद और देव करण और के बीच विभाजित किया गया था। ऐसे में, राजस्व रिकॉर्ड को संबंधित पक्षों के पक्ष में तदनुसार बदल दिया गया था और इस तरह, एक वैध डिक्री के बावजूद, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों और तहसीलदार के पक्ष में पारित किया गया था, जो वहां एक पक्ष थी और इस तरह, उक्त डिक्री को उचित मान्यता की आवश्यकता थी, इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि 1973 के अधिनियम की धारा 6 का अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमि का कोई भी हस्तांतरण अनुरोध, चाहे वह बिक्री, उपहार, विनिमय, समनुदेशन, समर्पण, ट्रस्ट का अनुदान या अन्यथा के माध्यम से हो, 26.09.1970 से पहले या बाद में, वास्तविक हस्तांतरण को छोड़कर, 1973 के अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के लिए किया गया माना जाएगा।

इस न्यायालय ने पाया कि 1973 के अधिनियम की धारा 6 के मद्देनजर, यदि पक्षों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और 26.09.1970 के बाद किए गए किसी भी लेनदेन को प्रभावित करने के लिए कोई व्यवस्था की गई थी, तो न्यायालय उस पर अनुमोदन की मुहर नहीं लगा सकता है तथा वह अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कानून की दृष्टि में शून्यता है और तदनुसार, 1955 के अधिनियम की धारा 53 के तहत दायर मुकदमे में पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

तदनुसार, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक कार्यवाही का सरासर दुरुपयोग है और याचिकाकर्ता ने अपने आचरण से न केवल न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, बल्कि मुकदमेबाजी के पहले दौर से संबंधित पूरे तथ्यों का खुलासा न करने और मुकदमे में एक पक्ष होने के कारण बोर्ड सहित राजस्व अधिकारियों को गुमराह करने का भी प्रयास किया है।

यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि कोई भी नागरिक जिसके अधिकारों का किसी प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है, उसे विधिक न्यायालयों से संपर्क करके साधन मांगने का अधिकार है, हालांकि, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर याचिका दायर करके किसी वादी के समान अधिकार या स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो वादी किसी भी फोरम के समक्ष कोई मामला दायर करता है, उसे साफ-सुथरे अभिलेखों के साथ आना होता है और उसे न्यायालय के समक्ष संपूर्ण तथ्यों का खुलासा

करना होता है। न्यायालय को मामले के गुणागुण के आधार पर या दूसरे पक्ष द्वारा उठाए गए और विवादित मुद्दों पर विचार करने के बाद, मामले के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद आदेश पारित करना होता है। तथ्यों को छुपाने या संपूर्ण प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा न करने से ऐसी स्थिति पैदा होती है, जहां न्यायालय कुछ तथ्यों पर विश्वास करने के लिए गुमराह हो जाता है, जो प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

किसी भी मामले का भाग्य उसकी दलीलों पर निर्भर होता है पक्षकारों और अभिवचनों की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पक्ष को न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक और सही तथ्य लिखने होंगे और कोई भी तथ्य न्यायालय से छिपाया नहीं जाना चाहिए।

यह मामला एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां याचिकाकर्ता ने पूरी न्यायिक प्रणाली को चकमा दे दिया है क्योंकि राजस्व बोर्ड के समक्ष, उसने कभी यह खुलासा नहीं किया कि उसके द्वारा दायर रिट याचिका पहले ही अपास्त कर दी गई है और इसके अलावा, वर्तमान रिट याचिका दायर करते समय उसने मुक़दमेबाजी के पहले दौर में क्या हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के इस आचरण की इस न्यायालय द्वारा निंदा की जानी आवश्यक है।

इस न्यायालय का मानना है कि एक ओर सभी न्यायालय इतने अधिक मुकदमों से भर गए हैं कि उन्हें पीड़ित पक्षों के अधिकारों का निर्णय करना मुश्किल हो रहा है, जो वास्तव में न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और दूसरी ओर, न्यायालय ऐसे व्यक्तियों से निपट रहे हैं, जो निरर्थक रिट याचिकाएँ दायर करते हैं और पूरे तथ्यों का खुलासा न करके न्यायालय को हल्के में लेते हैं।

इस प्रथा की निंदा की जानी आवश्यक है और तदनुसार इस न्यायालय ने पाया कि यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा विधिक न्यायालयों के सरासर दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और तदनुसार इस न्यायालय ने पाया कि न केवल याचिका को अपास्त करने की आवश्यकता है बल्कि बुनियादी तथ्यों को दबाने के लिए याचिकाकर्ता पर भारी लागत जुर्माना लगाया जाना भी आवश्यक है। फालतू मुकदमेबाजी में इस न्यायालय के न्यायिक समय की बर्बादी से भी सख्ती से निपटने की जरूरत है।

यह न्यायालय मामले के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को अपास्त करना उचित और युक्तिसंगत समझता है, तद्नुसार उसे लागत सहित अपास्त किया जाता

है। याचिकाकर्ता को 25,00,000/- रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, जिसे उसे चार सप्ताह की अवधि के भीतर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर में जमा करना होगा और उसकी रसीद फ़ाइल में रखी जानी चाहिए।

(अशोक कुमार गौर), न्यायमूर्ति

Ramesh Vaishnav/86/Bhavnesh Kumawat

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी.के. अग्रवाल द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण :यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।